

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 747 सन 2019

अनवान :-

1. चन्द्रावती पुत्री नेकीराम पत्नि सुशील जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नेकीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ( हनुमानगढ)
2. इन्द्रावती पुत्री नेकीराम पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कौशल्या पुत्री नेकीराम पत्नि अनील कुमार जाति जाट निवासी भोडिया खेडा
4. राजबाला पुत्री नेकीराम पत्नि संजय जाति जाट निवासी भोडिया खेडा तहसील फतेहबाद
5. नीमादेवी पत्नी नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/35 की कुल 3.0360 हैक् , चक रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 96/88 की कुल 4.5540 हैक् जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 286/307 की कुल 14.9370 हैक् एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.5300 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम वल्द बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम वल्द बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम वल्द बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या-2 ता 4 वादीया की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 वादीया का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादीया की माता है जिन्होंने वादीया जो प्रतिवादी संख्या 1, 5 के साथ रहती है तथा प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

उप सहायक कलक्टर (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रावताराम वल्द बस्ती के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी पुत्री जो उसके साथ रहती है अर्थात वादीया के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/35 की कुल 3.0360 हैक्, चक रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 96/88 की कुल 4.5540 हैक् जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 286/307 की कुल 14.9370 हैक् एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.5300 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम वल्द बस्ती के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम वल्द बस्ती के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम वल्द बस्ती के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादीया की बहनें हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 वादीया का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादीया की माता है जिन्होंने वादीया जो प्रतिवादी संख्या 1, 5 के साथ रहती है तथा प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्प होते हैं अतः वादी का वाद डिक्ली फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/35 की कुल 3.0360 हैक्, चक रोही मौजा

रूप खण्डिकाड़ी (राजस्व)  
बोहर (हनुमानजद)

चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 96/88 की कुल 4.5540 हैक जिसमें सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 286/307 की कुल 14.9370 हैक एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.5300 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि रावताराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा रावताराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/35 की कुल 3.0360 हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 96/88 की कुल 4.5540 हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 286/307 की कुल 14.9370 हैक में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.5300 हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजून किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
मोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. चन्द्रावती पुत्री नेकीराम पत्नि सुशील जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नेकीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ( हनुमानगढ)
2. इन्द्रावती पुत्री नेकीराम पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कौशल्या पुत्री नेकीराम पत्नि अनील कुमार जाति जाट निवासी भोडिया खेडा
4. राजबाला पुत्री नेकीराम पत्नि संजय जाति जाट निवासी भोडिया खेडा तहसील फतेहबाद
5. नीमादेवी पत्नी नेकीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 747 सन 2019 निर्णय दिनांक- 29/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 38/35 की कुल 3.0360 हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं रोही मौजा चक 11 एनटीआर बी के खाता संख्या 96/88 की कुल 4.550 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 286/307 की कुल 14.9370 हैक् में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 76/75 की कुल 2.5300 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)